रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2016/अग्रहायण 7, 1938
No. 817] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2016/AGRAHAYANA 7, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवंबर, 2016

सा.का.नि. 1095(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 478 (अ), तारीख 2 मई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 2 मई, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (20ok संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 125 छ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**125-ज. यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति और आपात बटन -**

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (35) के अधीन यथापरिभाषित सभी लोक सेवा यानों को यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति और एक या अधिक आपात बटनों से सज्जित किया जाएगा और फिट किए जाएंगे :

परंतु यह नियम यानों के निम्नलिखित वर्ग को लागू नहीं होगा, अर्थात् :-

(i) दुपहिया;

(ii) ई-रिक्शा;

(iii) तिपहिया; और

(iv) कोई परिवहन यान जिसके लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञा-पत्र (परमिट) अपेक्षित नहीं होता है:

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति और आपात बटन के विनिर्देश, परीक्षण और प्रमाणन तब तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-140:2016 के अनुसार होंगे, जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति और आपात बटन, यथास्थिति, विनिर्माता या उनके ब्यौहारी या अपने-अपने ऑपरेटर द्वारा यथासंशोधित एआईएस-140:2016 के अनुसार तब तक फिट किए जाएंगे जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं"।

[सं. आरटी- 11028/12/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 1034 (अ), तारीख 02.11.2016 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2016

G.S.R. 1095(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 478 (E), dated the 2nd May, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 2nd May, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twentieth Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2018.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after rule 125 G, the following rule shall be inserted, namely.-

"**125 H. Provision of vehicle location tracking device and emergency button.-**

(1) All public service vehicles, as defined under clause (35) of section 2 of the Act, shall be equipped with or fitted with vehicle location tracking device and one or more emergency buttons:

Provided that this rule shall not apply to the following category of vehicles, namely:-

(i) two wheelers;
(ii) E-rickshaw;
(iii) three wheelers; and
(iv) any transport vehicle for which no permit is required under the Act.

(2) The specifications, testing and certification of the vehicle location tracking device and emergency button referred to in sub-rule (1) shall be in accordance with AIS-140: 2016, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(3) The vehicle location tracking device and emergency button referred to in sub-rule (1) shall be fitted by the manufacturer or their dealer or the respective operator, as the case may be, in accordance with AIS-140: 2016, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.".

[No.RT-11028/12/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R.590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R.1034(E) dated the 2nd November, 2016

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.11.29 13:10:00 +05'30'